



कार्यालय आदेश सं / WM-I/T&P 2025/ 58

दिनांक- 08/12/2025

कार्यालय आदेश

कृपया वर्ष 2025 के लिए वार्षिक स्थानांतरण एवं पदस्थापन की अधिसूचना के संबंध में कार्यालय आदेश संख्या WM-I/T&P 2025/50 दिनांक 11/11/2025, का संदर्भ लें। मुख्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, आदेश में उल्लेखित था कि 'एक से अधिक विकल्पों की स्थिति में केवल नवीनतम विकल्प ही मान्य होगा'।

आदेशानुसार, जिन अधिकारियों ने एकाधिक बार स्टेशनों का अपना विकल्प प्रस्तुत किया है, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे निम्नलिखित प्रपत्र में वांछित विवरण दिनांक 09/12/2025 तक उपलब्ध करा दें।

Name & Designation	Division where posted	Date and time of sending in option	
		1 st	
		2 nd	
		3 rd	

यह जानकारी वरिष्ठ उप महालेखाकार (कार्य) को ईमेल द्वारा amars@cag.gov.in पर प्रेषित करते हुए, इसकी प्रति duttaa.jhr.ae@cag.gov.in और surinma.jhr.ae@cag.gov.in पर भेजी जानी है। साथ ही यह सूचना दूरभाष के माध्यम से 9955726909 पर श्रीमती अर्पिता दत्ता, वरीय लेखा अधिकारी /डब्ल्यूएम०-1 को भी दे दी जाय, ताकि इसकी पुनः पुष्टि हो एवं अंतिम विकल्प छूट न जाय।

जिन्होंने केवल एक बार अपना विकल्प प्रस्तुत किया है, उन्हें उपरोक्त जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

Please refer to O.O. No. WM-I/T&P 2025/50 dated 11/11/2025, regarding notification for Annual General Transfer & Posting for the year 2025. In accordance with Headquarter guidelines, it was stated in the order that 'In case of multiple options, only the latest one shall be valid'.

As ordered, **all officials who have submitted their choice of stations multiple times**, are directed to send in the details in the following proforma, latest by 09/12/2025.

Name & Designation	Division where posted	Date and time of sending in option	
		1 st	
		2 nd	
		3 rd	

The information may be sent by email to Sr. Dy. Accountant General (W/F) at amars@cag.gov.in with copy to duttaa.jhr.ae@cag.gov.in and surinma.jhr.ae@cag.gov.in. Additionally, the information may also be provided telephonically at 9955726909 to Ms. Arpita Dutta, Sr. AO/WM-I, so that it may be re-confirmed and the final option is not left out from consideration.

Those who have submitted their option only once are not required to provide the above information.

31-12-25
वरिय लेखा अधिकारी / डब्लू. एम.-I
Senior Accounts Officer
Office of the Principal Accountant General
(A & E), Jharkhand, Ranchi

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित :

1. सभी सम्बंधित वरीय प्रमंडलीय लेखा अधिकारी / लेखा अधिकारी / प्रमंडलीय लेखाकार / प्रमंडलीय लेखाकार (प्र०) [आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से]